वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2010

सं. 08/2010

सा.का.नि. 132.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा आयकर निदेशालय (ओ एंड एम एस) में 10,000-325-15,200 रूपए (संशोधित: पी बी-3, 15,600-39,100 रूपए+ग्रेड पे 6600 रूपए) के पूर्व संशोधित वेतनमान में सहायक निदेशक तथा 7500-250-12,200 रूपए) (संशोधित: पी बी-2, 9300-34,800 रूपए+ग्रेड पे 4800 रूपए) के पूर्व संशोधित वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निदेशक के पदों को उसी वेतनमान में क्रमशः उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के रूप में पुनः- पदनामित करते हैं।

[फा. सं. ए-35015/103/2004-प्रशा.-VI]

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 30th July, 2010

No. 08/2010

G.S.R. 132.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby re-designates the posts of Assistant Director in the pre-revised pay scale of Rs.10,000-325-15,200 (Revised: PB-3, Rs.15,600-39,100 + Grade Pay Rs.6600) and Additional Assistant Director in the pre-revised pay scale of Rs.7,500-250-12,000 (Revised: PB-2, Rs.9,300-34,800 + Grade Pay Rs.4800) in the Directorate of Income Tax (O&MS) as Deputy Director and Assistant Director in the same scale of pay respectively.

[F. No. A-35015/103/2004-Ad. VI]

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (लोहार) भर्ती नियम, 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में लुहार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, लुहार, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010 होगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

"अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लुहार	11* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 1900 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण** 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण** : 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधरित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और (ii) लुहारगिरि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र; (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में लुहार के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
(i) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (ii) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति** : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ऐसा हथौड़े वाला जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु, यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।"
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—अध्यक्ष	
2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य	
3. केन्द्रीय सरकार, के विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	
पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:		
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—अध्यक्ष	
2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य	

[फा. सं. 23/24/2009-सी. जी.डब्ल्यू. बी.]

विनीत अब्रहाम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th August, 2010

G. S. R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Blacksmith) Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Blacksmith in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Blacksmith, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule Annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to the recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

"SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit of direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Blacksmith	13*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes communities in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (and not the clsoing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2** : In respect of appointment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation from recognized Board or equivalent; and (ii) Industrial training Institute Certificate in Blacksmith; (iii) One year experience of working as Blacksmith in a recognized Institution. **Note 1** :Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/of absorption is to be made
(11)	(12)
(i) Twenty five percent, by promotion failing which by direct recruitment. (ii) Seventy five percent, by direct recruitment.	**Promotion :** Hammerman in the Central Ground Water Board with four years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation periods.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion confirmation consisting of : 1. Director (Administration) Central Ground Water Board —Chairman	Not applicable."

(13)	
2. Executive Engineer, Central Ground Water Board	—Member
3. A Group 'A' Officer from the Central Government Department	—Member

Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :

1. Director (Administration) Central Ground Water Board	—Chairman
2. Executive Engineer, Central Ground Water Board	—Member
3. Administrative Officer Central Ground Water Board	—Member

[F. No. 23/24/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 134.—महामहिम राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुणता आश्वासन निदेशालय, मुंबई की विभागीय कैंटीन में समूह 'ग' और 'घ' की विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को गुणता आश्वासन निदेशालय, मुंबई (कैंटीन) समूह 'ग' और 'घ' पदों के भर्ती नियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतनमान का ब्यौरा कथित अनुसूची के कॉलम 2 तथा 4 में दिया गया है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा कथित पद से संबंधित अन्य मामलों का ब्यौरा उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में दिया गया है ।

4. **आरंभिक गठन.**—उक्त अनुसूची में उल्लिखित पदों के ऐसे पदधारियों को, जिन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जनवरी, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/9/91-Dir(C) द्वारा सरकारी सेवक घोषित किया गया था, इन नियमों के अधीन नियुक्त समझा जाएगा और उनके द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली जाएगी ।

5. **अनर्हता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने :-

(क) ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक करार अथवा विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित हो,

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो ।

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम में छूट दे सकती है ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—यदि केंद्रीय सरकार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करना आवश्यक या उचित समझती है तो वह उन कारणों को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों का प्रभाव सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा ।